संक्षिप्त

551 कन्याओं को भोजन करवाया

कोटपूतली। सैनी विकास संगठन (रजि.) के तत्वाधान में आयोजित हुये 06 वें सामूहिक विवाह सम्मेलन के समापन के उपलक्ष्य में बुधवार को 551 कन्याओं को भोजन करवाया गया। जिलाध्यक्ष बबलू बबेरवाल ने बताया कि 551 कन्याओं को तिलक लगाकर, रक्षा सूत्र बांधकर, भोजन कराकर एवं दक्षिणा देकर विदा किया गया। उन्होंने विवाह सम्मेलन के कार्यक्रमों 17 अक्टुबर को गणेश निमंत्रण व पीला चावल, 01 नवंबर को 551 महिलाओं द्वारा चाक पूजन व कलश यात्रा व 02 नवम्बर को 9 जोड़ों का सामूहिक विवाह की जानकारी दी। वहीं सहयोग देने वाले भामाशाहों, कार्यकर्ताओं व सम्मेलन में आये अतिथियों का प्रधान संरक्षक देवीसहाय सैनी व जिलाध्यक्ष बबलू बबेरवाल की संयुक्त अध्यक्षता में आयोजित बैठक में धन्यवाद एवं आभार व्यक्त किया गया। वहीं पांच धाम नारायणी माता, मामोड़ आदि की यात्रा कर विधिवत समापन किया गया। विवाह सम्मेलन के आय व्यय का ब्यौरा आगामी 23 नवंबर रविवार को आयोजित होने वाली बैठक में प्रस्तुत किया जायेगा। इस दौरान बाबूलाल सैनी राजनौता, पूरणमल भगत, सुवालाल सैनी, रामरतन सैनी, रामौतार मिस्त्री, रामस्वरूप रोलावण, रामसिंह सैनी, रामनिवास सैनी, गंगाराम सैनी, संतोष सैनी, कुलदीप बानसूर, अमित उदावाला, संजय दैया, आनंद दुवारिया, सुनीता सैनी, संतोष सैनी, दाताराम सैनी, प्रमोद सैनी, अनिल सैनी आदि मौजूद रहें।

ईएफ वितरण कार्य का अवलोकन

कोटपूतली। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्य 4 नवम्बर से आरम्भ हो चुका है, जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों में बीएलओ द्वारा घर-घर जाकर ईएफ (एन्युमरेशन फॉर्म) वितरण कार्य किया जा रहा है। इसके तहत जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलक्टर प्रियंका गोस्वामी एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी ओमप्रकाश सहारण ने बुधवार को जिले की कोटपुतली विधानसभा क्षेत्र में बीएलओ द्वारा वितरित किये जा रहे ईएफ कार्य का अवलोकन किया। साथ ही उन्होंने घरों में पहुंचकर मतदाताओं को विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया की विस्तारपूर्वक जानकारी देते हुए उक्त कार्य में सहयोग की अपील की। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कोटपुतली के वार्ड नम्बर 18 और टापरी रोड मोहल्ले एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने ठाम राहेडा और कल्याणपुरा खुर्द में बीएलओ द्वारा वितरित ईएफ कार्य का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने ईआरओ और बीएलओ को कार्य में प्रगति हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिये। उन्होंने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण का उद्देश्य मतदाता सूची को अद्यतन, शुद्ध एवं त्रुटिरहित बनाना है। मतदाता सूची के इस पुनरीक्षण में वर्ष 2002 की मतदाता सूचियों के आधार पर निर्वाचक मैपिंग की जा रही है।

नवजात शिशु मिलने पर सनसनी

बौंली- बामनवास। क्षेत्र के बरनाला तहसील मुख्यालय पर बुधवार को नवजात शिशु के मिलने से सनसनी फैल गई, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नवजात शिशु को कब्जे में लेकर गंगापुर सिटी चिकित्सालय में भर्ती कराया है। बाटोदा थाना प्रभारी फतेलाल ने बताया कि बुधवार को सुबह स्थानीय निवासियों द्वारा खुले में नवजात शिशु के रोते हुए मिलने की जानकारी दी गई, इस पर पुलिस मौके पर पहुंची एवं नवजात शिशु को कब्जे में लेकर गंगापुर सिटी चिकित्सालय में भर्ती कराया जहां शिशु की हालत स्थर बताई जा रही है, पुलिस मामले गहनता से की जांच कर रही है।

देव दीपावली मनाई गई

चौमू/कालाडेरा। देव दीपावली के पावन पर्व पर कालाडेरा कस्बे के धूलेश्वर महादेव मन्दिर प्रांगण में एक हजार एक सौ ग्यारह दीपक प्रज्वलित कर बाबा की महाआरती की गई। इसके बाद में भव्य आतिशबाजी कर के देव दीपावली का पावन पर्व मनाया गया। इस दौरान कस्बे के युवाओं ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया था।

नम्बर मिलाइए
9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

सर्च अभियान के बाद कुणाल का शव नदी में मिला

टोंक। बनास नदी के नेगडिया पुलिया पर मंगलवार को डूबे कुणाल साहू पुत्र दुर्गेश निवासी तेली मोहल्ला देवली का शव बुधवार को एसडीआरएफ की टीम ने गहन तलाशी अभियान के बाद बनास नदी से बाहर निकाला।

प्राप्त जानकारी के अनुसार मंगलवार को कुणाल अचानक नदी में गिर जाने के बाद से लापता हो गया था। जिसको पुलिस और स्थानीय गोताखोरों द्वारा चलाया गया सर्च अभियान के बाद बुधवार सुबह एसडीआरएफ की विशेष टीम द्वारा फिर से तलाशी शुरू कर मशक्कत के बाद कुणाल का शव नदी में मिला। शव मिलने की सूचना पर पंहुचे परिजनों में शोक छा गया तथा पुलिस ने शव को देवली चिकित्सालय पहुंचाया है, जहां पंचनामा और पोस्टमार्टम की कार्यवाही कर शव परिजनो को सौप दिया।

■ **मंगलवार को कुणाल अचानक नदी में गिर जाने के बाद से लापता हो गया था कुनाल**

बनास नदी के नेगडिया पुलिया पर डूबे कुणाल का शव एसडीआरएफ की टीम ने गहन तलाशी के बाद बाहर निकाला।

इसके अलावा देवली थाना क्षेत्र के पनवाडगांव में मंगलवार शाम को 16 वर्षीय किशोरी ने अपने घर में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के दौरान परिजन खेत पर थे।

देवली सहायक उपनिरीक्षक ने बताया कि मृतका की पहचान प्रियंका पुत्री हेमराज माली निवासी पनवाड के रूप में हुई है, जो 12वीं कक्षा की छात्रा थी। घटना के दौरान प्रियंका घर पर अकेली थी जबकि उसके परिजन खेत पर गए हुए थे, जब परिजन घर पहुंचे तो प्रियंका फंदे से लटकी मिली। बाद में ग्रामीणों की मदद से शव को नीचे उतारा तथा शव को देवली चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवा दिया। बुधवार सुबह सूचना पर पंहुची देवली पुलिस ने पोस्टमॉर्टम की कार्यवाही की गई। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आत्महत्या के कारणों की जांच कर रही है।

गांजा, स्मैक के साथ 4 जनों को पकड़ा

फुलेरा। जयपुर ग्रामीण पुलिस ने नशा का कारोबार करने वालों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए "ऑपरेशन नॉकआउट" अभियान के तहत फुलेरा व जोबनेर इलाके में दबिश देकर भारी मात्रा में अवैध मादक पदार्थ, स्मैक व देशी शराब बरामद की।

डीएसटी टीम की सूचना पर की गई इस कार्रवाई में 04 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है तथा ठाम बोबास में सरकारी भूमि पर उगे करीब 5000 गांजा पौधों को मौके पर उखाड़कर नष्ट किया गया। जयपुर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक राशि डोगरा डूडी के निर्देशन में, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) रजनीश पूनियां, वृत्ताधिकारी सांभरलेक अनुपम मिश्रा के सुपरविजन में की गई। फुलेरा थानाधिकारी राजेश कुमार, जोबनेर थानाधिकारी सुहैल खान, सांभरलेक थानाधिकारी राजेंद्र यादव व नरैना थानाधिकारी महेंद्र, जयपुर पुलिस लाईन से सीआई रमेश व धर्मसिंह सहित डीएसटी की संयुक्त टीम ऑपरेशन में शामिल रहीं । फुलेरा थानाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि डीएसटी टीम की सूचना पर बुधवार को सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे तक 06 अलग-अलग स्थानों पर दबिश दी गई। जिसमें जोबनेर रोड पर स्थित सांसी बस्ती से बशन्ती देवी 46 पत्नी विनोद कुमार के घर से 550 ग्राम गांजा व 1580 रुपए नकद बरामद किए।

विधिक जागरूकता शिविर आयोजित

शाहपुरा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर जिला जयपुर अध्यक्ष अजित कुमार हींगर एवं तालुका विधिक सेवा समिति शाहपुरा अध्यक्ष ललिता शर्मा अपर जिला एवं सत्र सैशन न्यायाधीश प्रथम के निर्देशानुसार अधिकार मित्र दिनेश कुमार शर्मा ने श्री गंगादास विद्या आश्रम शाहपुरा नगरपरिषद क्षेत्र में नालसा योजना के अंतर्गत वरिष्ठ नगरिकों के कानूनी अधिकार व श्रमिकों के अधिकार पर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया। इस अवसर पर संस्था के निदेशक राजेंद्र सिंह नरूका की अध्यक्षता में शिविर आयोजित किया। इस अवसर पर महिला उत्पीडन समिति की अध्यक्ष मोहितेन्द्र भी उपस्थित रही। अधिकार मित्र दिनेश कुमार शर्मा ने बताया कि भारत के संविधान के तहत " माता-पिता भरण पोषण कल्याण अधिनियम 2007 अधिकार देता है कि वरिष्ठ नागरिक का अर्थ जिनकी आयु 58 वर्ष से ऊपर है उनको अधिकार देता है कि वृद्धावस्था में उन्हें स्वास्थ्य, चिकित्सा, स्वच्छता पूर्ण माहौल में जीवनयापन करने के लिए आश्रय और उनकी देखभाल एवं सेवा के लिए सन्तानों को प्रेम भरा आत्मिकता का व्यवहार, यह संविधान के मौलिक अधिकार 21 में संदर्भित है।

खैरथल में कांग्रेस जिलाध्यक्ष पद को लेकर संजीव बारेठ के नाम पर कार्यकर्ताओं की नजर टिकी

किशनगढ़ बास। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व किशनगढ़ बास क्षेत्र में पंचायत राज की राजनीति में लंबे समय तक दबदबा रखने वाले सूर्यदेवसिंह बारेठ के पुत्र संजीव बारेठ के नाम की चर्चा कांठोस के कार्यकर्ताओ के बीच गांव - गाव में हो रही है। यह चर्चा अलवर के खैरथल तिजारा जिले के जिलाध्यक्ष पद को लेकर हो रही है जिससे बारेठ को प्रबल दावेदार के रूप में सबसे आगे माना जा रहा है।

■ **ऐसे में कार्यकर्ताओं के बीच चर्चा का विषय है कि विधायक के विरोध के रहते टीकाराम जूली अपने करीबी दोस्त संजीव बारेठ को क्या जिलाध्यक्ष बनवा पाएंगे।**

खैरथल तिजारा जिलाध्यक्ष की दौड़ में सबसे आगे माने जा रहे संजीव बारेठ अलवर से ठामीण विधायक व राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के बेहद करीबी मित्र हैं वहीं सृजन अभियान के तहत उन्हें कांठोस ने अभी हाल ही मे पाली, फलौदी का कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया हुआ है। इस नजरिए से भी बारेठ की संभावना और अधिक मजबूत हो जाती है।

वहीं कार्यकर्ताओं में यह भी चर्चा जोरों से है की बारेठ के लिए दीपचंद खेरिया के विधायक रहते हुए खैरथल तिजारा जिले का जिलाध्यक्ष बनना बड़ी चुनौती होगी क्योंकि किशनगढ़ बास से दुसरी बार विधायक बने दीपचंद खेरिया किसी भी सूरत में बारेठ के नाम पर अपनी सहमति नहीं देंगे।

बारेठ के पिता सूर्यदेव सिंह बारेठ और दीपचंद खेरिया कांठोस में रहते एक दुसरे के प्रतिद्वंद्वी रहे हैं हमेशा एक-दूसरे को आगे बढ़ने से रोकने का काम किया है। इन दोनों नेताओं की आपसी लड़ाई क्षेत्र में ही नहीं बल्कि कांठोस पार्टी में जगजाहिर है। कांठोस में रहते एक दूसरे के खिलाफ आमने-सामने चुनाव तक भी लड़े हैं।

संजीव बारेठ जिला कांग्रेस कमेटी अलवर के प्रवक्ता है। यूथ कांठोस के जिला अध्यक्ष रह चुके हैं। किशनगढ़ बास पंचायत समिति की ठाम पंचायत माहूद से सरपंच रह चुके हैं। पत्नी पंचायत समिति की सदस्य रही है। पिता सूर्यदेव सिंह बारेठ व मां नंदा देवी करीब 15 साल तक किशनगढ़ बास पंचायत समिति में प्रधान रहे हैं।

कांग्रेस में सूर्य देव सिंह बारेठ का एक बड़ा नाम है उनकी अपनी पहचान क्षेत्र में ही नहीं जिले की राजनीति से लेकर जयपुर दिल्ली तक है। संजीव बारेठ को लेकर कार्यकर्ताओं का मानना है कि बारेठ जिले की बागडोर संभालते हैं तो ग्राउंड लेवल का अनुभव और क्षेत्र में मजबूत पकड़ संगठन को मजबूती दिला सकती है। बारेठ के नाम की चर्चा जब से तेज हैं जब पिछले दिनों ए.आई.सी.सी. पर्यवेक्षक, गुजरात कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री भरत सिंह सोलंकी, पी.सी.सी. महासचिव एवं पर्यवेक्षक राहुल भाकर, पी.सी.सी. महासचिव एवं पर्यवेक्षक मुकुल गोयल संजीव बारेठ के किशनगढ़ बास निवास पर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर उनकी राय भी ली थी।

जबकि उससे एक दिन पहले ही बारेठ ने पर्यवेक्षकों को जिला अध्यक्ष के लिए आवेदन भी किया था। बारेठ का एक दिन पहले आवेदन करना उसके बाद पर्यवेक्षकों का बारेठ के निवास पर आना और कार्यकर्ताओं से जिला अध्यक्ष के नाम को लेकर रायशुमारी करना बारेठ की कांठोस पार्टी में मजबूत पकड़ को दर्शाती है। हालांकि वेसे लगभग खैरथल तिजारा जिले से एक दर्जन वरिष्ठ कांग्रेस नेता जिला अध्यक्ष पद की दौड़ में हैं।

इस बीच देखने वाली बात यह है कि विधायक दीपचंद खेरिया के विरोध के रहते जूली अपने मित्र बारेठ को जिलाध्यक्ष बनवापाते है या नही इस पर कांग्रेस के कार्यकर्ता व नेताओं की निगाहें टिकी हुई है।

अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट के खिलाफ 1061 दिनों से धरने पर बैठे ग्रामीणों को जीत मिली

कोटपुतली में अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट के खिलाफ 1061 दिनों से धरने पर बैठे ग्रामीणों की मांगे मानी गई है।

कोटपूतली। निकटवर्ती ग्राम मोहनपुरा स्थित अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट के खिलाफ जोधपुरा संघर्ष समिति के बैनर तले धरने पर बैठे ग्रामीणों के 1061 दिन के लंबे संघर्ष को आखिरकार सफलता मिल गई। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने सीमेंट प्लांट मोहनपुरा मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुये अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट को दोषी ठहराया और प्रभावित परिवारों को मुआवजा एवं चिकित्सीय सहायता देने के आदेश जारी किये। फैसले के अनुसार ब्लास्टिंग से जिन घरों में दरारें आई हैं, उन सभी पीड़ित परिवारों को 50 हजार रूपये प्रति परिवार मुआवजा दिया जायेगा। वहीं धूल और प्रदूषण से पीडित व ग्रस्त रोगियों को 20 हजार रूपये सहायता राशि दी जायेगी। एनजीटी ने प्लांट को सभी प्रभावितों का नि:शुल्क ईलाज कराने के भी निर्देश दिये हैं। साथ ही गांव के स्कूल, मंदिर व आबादी से 500 मीटर तक ब्लास्टिंग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। वहीं आदेश के अनुसार अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट को नियमित स्वास्थ्य शिविर व नि:शुल्क दवाओं की व्यवस्था करनी होगी। पर्यावरण स्वीकृति (ईसी) और प्रदूषण नियंत्रण मानकों का सख्ती से पालन भी अनिवार्य होगा। राज्य सरकार के मुख्य सचिव को ठामीणों के पुनर्वास के लिये समिति गठित करने व जिला कलक्टर को मुआवजा वितरण की निगरानी का दायित्व सौंपा गया हैं। फैसले के बाद जोधपुरा संघर्ष समिति के अध्यक्ष सत्यम सुरेलिया, सामाजिक कार्यकर्ता राधेश्याम शुक्लावास व प्रभूदयाल ने कहा कि यह जीत हमारी एकजुटता व धैर्य की जीत हैं।

■ **पीड़ित परिवारों को 50 हजार रूपये प्रति परिवार मुआवजा व बीमार ग्रस्त रोगियों को 20 हजार रूपये दी जायेगी सहायता राशि**

बानसूर की ग्राम पंचायत हौलावास में कलक्टर ने की रात्रि चौपाल

कोटपूतली। जिले की बानसूर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत हौलावास में मंगलवार को जिला कलक्टर प्रियंका गोस्वामी की अध्यक्षता में रात्रि चौपाल आयोजित हुई। इस दौरान ग्रामीणों की विभिन्न समस्याओं के निस्तारण के लिए अधिकारियों को निर्देश देते हुए जिला कलक्टर ने कहा कि मुख्यमंत्री की भावना के अनुसार परिवेदनाओं का निस्तारण कर आमजन को राहत पहुंचाई जाए। रात्रि चौपाल के दौरान ठामीणों द्वारा विभिन्न समस्याओं के परिवाद दिए गए। इनमें नियमित जलापूर्ति करने, बिजली सड़क, अतिक्रमण, पीएम आवास योजना का लाभ दिलवाने, खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जुड़वाने सहित अन्य परिवाद प्राप्त हुए। जिला कलेक्टर ने एक-एक परिवादी की परिवेदना को सुनते हुए संबंधित अधिकारियों से तथ्यात्मक जानकारी लेते हुए नियमानुसार समाधान के निर्देश प्रदान किए। इस दौरान चौपाल में उपस्थित अधिकारियों ने अपने-अपने विभागों से संबंधित जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी।

■ **समस्याओं के निस्तारण के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए**

कोटपूतली में जिला कलेक्टर ने रात्रि चौपाल में जनसुनवाई की।

कार्यालय सहायक आयुक्त (द्वितीय) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 23 के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर 38/2025
(नाम, वर्णन तथा निवास स्थान)
चूंकि श्री सत्यजीत घोष पुत्र श्री एम.एस. घोष निवासी 501, सैफायर, बीडीआई सनसाईन सिटी, भिवाडी जिला खैलथल-तिजारा ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 23 के अन्तर्गत प्रन्यास दिल्ली पब्लिक स्कूल इंटरनेशनल एजूकेशनल ट्रस्ट ग्राम बूरेडा, भिवाडी तहसील टपूकडा जिला खैरथल-तिजारा में पूर्व प्रन्यासी श्रीमती दिप्ती घोष व श्री सत्यजीत घोष द्वारा त्याग पत्र देने के कारण उनका नाम अभिलेखों से हटाये जाने व नवीन प्रन्यासियों का नाम दर्ज अभिलेख किये जाने हेतु जांच किये जाने के लिए प्रपत्र-8 में आवेदन पत्र दिया है।
अतएवं धारा 23 में प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास में हुये परिवर्तन/संशोधन जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से तीस दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां प्रस्तुत नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 15.10.2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 20.11.2025
मोहर अदालत
सहायक आयुक्त (द्वितीय) देवस्थान विभाग, जयपुर

नाम परिवर्तन
मैं, कृष्णा शर्मा, पुत्र कौशल किशोर शर्मा, निवासी जयपुर, राजस्थान यह घोषणा करता हूँ कि मेरी माता का नाम मेरे कक्षा 10 के अंकपत्र में गलत रूप से वीनीता शर्मा छपा है। सही नाम विनीता शर्मा है। भविष्य में उन्हें विनीता शर्मा नाम से ही जाना जाए।

मैं मनु शर्मा, निवासी शालीमार एक्सटेंशन, अलवर, राजस्थान, यह घोषित करती हूं कि मेरी पुत्री का नाम अभिलेखों में हिमांशी अरोड़ा दर्ज है। अतः मैं उसके नाम से अरोड़ा उपनाम हटाना चाहती हूं। भविष्य में उसका नाम केवल हिमांशी ही माना जाए।

I Ashok Kumar R/o. Address: 102, plot no. 5 &6, Narayan vihar - R, Gopalpura Bypass, Jaipur - 302020 has changed my Name from Ashok Kumar to Ashok Choudhary for all future purposes.

I Santosh Kumari R/o. Address: 7-N-36, Mahaveer Nagar 3, Ward No 53, Indrapura, Kota, Rajasthan 324005 has changed my Name from Santosh Kumari to Santosh Kanwar Shekhawat for all future purposes.

आम सूचना
मै सीताराम सैनी पुत्र लालाराम सैनी निवासी हवाला की ढाणी वाटिका सांगानेर जयपुर राजस्थान, से बाबा आर एन गोड गृह निर्माण सहकारी समिति की स्कीम तिरुपति बालाजी नगर कुम्हारियावास रोड वाटिका में लिया था। जिसका प्लाट न. 21 व कूल क्षेत्रफल 130.55 (47X25) है। जो कि जिसका मेरा ओरिजनल पट्टा कही खो गया है काफी ढूंढने पर भी नहीं मिला है, उसकी (राजस्थान पुलिस) के पोर्टल पर ऑनलाइन रिपोर्ट दर्ज करवाई है, किसी को उक्त कागज मिले तो संपर्क करें।
सीताराम सैनी मोबाइल नंबर-9799114932

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर DEV/JAIPUR-I/TRUST/2025/637
चूंकि प्रार्थी श्री RAHUL DUGGAL, B5 B6 VINAYAK APARTMENTS, C 1, PRITHVIRAJ MARG, C SCHEME, JAIPUR ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत प्रन्यास मानव हितकारी संघ, PLOT NO S 11, SHYAM NAGAR MAIN, AJMER ROAD JAIPUR के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है। अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के संबंध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपित्तयां प्रस्तुत नही की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 24-09-2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइंदा तारीख पेशी-05/12/2025
मोहर अदालत
सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, जयपुर-प्रथम

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर DEV/JAIPUR-I/TRUST/2025/701
चूंकि प्रार्थी श्री SUNIL BAKSHI, 175, RAMGANJ BAJAR, JAIPUR ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत प्रन्यास श्री महावीर दिगम्बर जैन शिक्षा परिषद् FIRST, MAHVEER MARG C SCHEME, JAIPUR 302001 RAJASTHAN के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है। अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के संबंध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपित्तयां प्रस्तुत नही की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 24-09-2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइंदा तारीख पेशी-01/12/2025
मोहर अदालत
सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, जयपुर-प्रथम

संख्यांक 2
विवाद्यकों के स्थिरीकरण के लिए सम्मन
(आदेश 5 के नियम 1 और 5)
न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश क्रम संख्या- 11, सांगानेर जयपुर महानगर प्रथम
रामावतार मीना व अन्य विरूद्ध भीरया उर्फ भौरीलाल व अन्य
वाद दावा बाबत दखलयाबी, मिंस प्रोफिट व स्थाई निषेधाज्ञा
वाद संख्या 74 सन् 2022
बनाम 2. नवजीवन गृह निर्माण सहकारी समिति लि. जरिये मंत्री जगदीश प्रसाद शर्मा, पुत्र श्री सेडूराम, निवासी ए-31, सैन कॉलोनी, स्टेशन रोड, जयपुर
7. राजेन्द्र केलवानी पुत्र नामालूम निवासी 266बी, विनोबा विहार, मालवीय नगर, जयपुर
8. आर. तिवाडी पुत्र श्री कैलाश निवासी 267, विनोबा विहार, मालवीय नगर, जयपुर
9. पुनीत पुत्र नामालूम निवासी 277, विनोबा विहार, मालवीय नगर, जयपुर
11. नरेन्द्र बच्छावत पुत्र नामालूम निवासी 279, विनोबा विहार, मालवीय नगर, जयपुर
13. हरीश छोगाणी पुत्र नामालूम निवासी 281डी, विनोबा विहार, मालवीय नगर, जयपुर
24. जयसिंह पुत्र श्री हनुमान सिंह निवासी 291, विनोबा विहार, मालवीय नगर, जयपुर
25. विवेक मोडवाल पुत्र श्री एम.पी. सक्सैना निवासी 290, विनोबा विहार, मालवीय नगर, जयपुर
वादी ने आपके विरूद्ध .....के लिये वाद संस्थित किया है। आपको इस न्यायालय में तारीख 17 माह 11 सन् 2025 को दिन में 10 AM बजे दावे का उत्तर देने के लिए उपसंजात (हाजिर) होने के लिए समन किया जाता है। आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते हैं जिसे सम्यक् अनुदेश दिये गये हों और जो इस वाद से सम्बन्धित सभी सारवान प्रश्नों का उत्तर दे सके या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे सब प्रश्नों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित साक्ष्य दाखिल करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे में या शक्ति में है पेश करे जिन पर आपकी प्रतिरक्षा या दाखिल/ सुजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित है, और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर, चाहे वह आपके कब्जे व शक्ति में हो या ना हो, अपना प्रतिरक्षा या मुजराई के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते है तो आप ऐसी दस्तावेजों को उलिखित समय के बाद उपावद्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्ट करें। आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप ऊपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नहीं होंगे तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा।
यह आज ता. 31 माह 10 सन 2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है।
रीडर
मोहर
अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश संख्या 11, जयपुर महानगर प्रथम मुख्यालय सांगानेर

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर DEV/JAIPUR-I/TRUST/2025/702
चूंकि प्रार्थी श्री MR. NIRMAL JAIN, BHAGWATI NAGAR FIRST KARTARPURA, JAIPUR, RAJASTHAN, 302006 ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत प्रन्यास दार्जीलिंग गुडविल एनिमल शेल्टर MAHARANI FARM, DURGAPURA, JAIPUR के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है। अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के संबंध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपित्तयां प्रस्तुत नही की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 24-09-2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर
के अधीन जारी किया गया।
आइंदा तारीख पेशी-01/12/2025
मोहर अदालत
सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, जयपुर-प्रथम

हैतुक दर्शित करने के लिए सूचना
(साधारण प्रारूप)
व्यवहार प्रक्रिया संहिता पहली अनुसूची संख्यांक 4
न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश क्रम संख्या- 11, सांगानेर जयपुर महानगर प्रथम
रामावतार मीना व अन्य विरूद्ध भीरया उर्फ भौरीलाल व अन्य
वाद/ प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
प्रार्थना- पत्र संख्या 59 सन् 2022
बनाम 2. नवजीवन गृह निर्माण सहकारी समिति लि. जरिये मंत्री जगदीश प्रसाद शर्मा, पुत्र श्री सेडूराम, निवासी ए-31, सैन कॉलोनी, स्टेशन रोड, जयपुर
7. राजेन्द्र केलवानी पुत्र नामालूम निवासी 266बी, विनोबा विहार, मालवीय नगर, जयपुर
8. आर. तिवाडी पुत्र श्री कैलाश निवासी 267, विनोबा विहार, मालवीय नगर, जयपुर
9. पुनीत पुत्र नामालूम निवासी 277, विनोबा विहार, मालवीय नगर, जयपुर
11. नरेन्द्र बच्छावत पुत्र नामालूम निवासी 279, विनोबा विहार, मालवीय नगर, जयपुर
13. हरीश छोगाणी पुत्र नामालूम निवासी 281डी, विनोबा विहार, मालवीय नगर, जयपुर
24. जयसिंह पुत्र श्री हनुमान सिंह निवासी 291, विनोबा विहार, मालवीय नगर, जयपुर
25. विवेक मोडवाल पुत्र श्री एम.पी. सक्सैना निवासी 290, विनोबा विहार, मालवीय नगर, जयपुर
उक्त प्रार